[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।I, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनासं. 04/2019- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक ७ फरवरी, 2019

सा.का.नि.........(अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात पर संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. 147(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, शर्त (2) में, परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'' बशर्ते और भी कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लेने के लिए अस्थाई रूप से वायुयानों के आयात के मामले में आयातकर्ताओं के लिए बैंक गारंटी या नकद जमा करना जरूरी नहीं होगा।''

(डॉ श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार
[फा.सं. 18000/1/2015-ओएसडी(आईसीडी)]

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं. 8/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 05 फरवरी, 2016 को सा.का.नि. 147 (अ), दिनांक 05 फरवरी, 2016 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 47/2017- सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में संशोधन किया गया था।